उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

निकट–महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानों रोड़, रायपुर, देहरादून।

वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.in   mail: chayanayog@gmail.com

फोन न० 0135–2669658 फैक्स न0 0135–2672902

पत्रांक–परीक्षा/ 89 /2024–25

दिनांकः– 18 जून, 2024

।।विज्ञप्ति।।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विभिन्न विभागों के स्नातक स्तरीय पदों के अन्तर्गत **सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुन्सरिम, रीडर, कार्यालय सहायक तृतीय, सहायक समीक्षा अधिकारी, फोरमैन परिसम्पति, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी** के पदों की दिनांक 31–12–2023 को लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई। उक्त विज्ञापित पदों के अन्तर्गत क्षेत्रीय युवा एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के पदों शारीरिक माप–जोख एवं दक्षता परीक्षा दिनांक 27–02–2024 को आयोजित की गई।

उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर स्नातक स्तरीय पदों की आयोग की विज्ञप्ति दिनांक 11 जून, 2024 के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन हेतु जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के अनुसार **दिनांक 19, 20, 21 एवं 24 जून, 2024 तक** अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन किया जाना निर्धारित है।

सूच्य है कि उक्त भर्ती परीक्षा में विभिन्न विभागों व पदों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा स्वेच्छानुसार अपनी वरीयता/विकल्प भरा जाना है।अभ्यर्थियों को विकल्प/वरीयता भरने हेतु आयोग द्वारा अधिकृत वेबसाइट **sssc.uk.gov.in** पर लिंक दिया जा रहा है। अतः समस्त चयनित अभ्यर्थियों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि:–

1. चयनित अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से अपनी ऑनलाईन वरीयता भरना अनिवार्य है।
2. चयनित अभ्यर्थी को विकल्प भरने हेतु स्वयं का अनुक्रमांक एवं जन्म तिथि अंकित करनी होगी।
3. चयनित अभ्यर्थी को उनके द्वारा विभागवार ऑनलाईन भरे गए विकल्पों को सबमिट करने के बाद दो प्रतियों में प्रिंट निकालना है।
4. अभिलेख सत्यापन की तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए विकल्प की एक प्रति निकालकर उसको स्वःहस्ताक्षरित करते हुए आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. अभ्यर्थी ध्यान रखे कि उक्त परीक्षा में विभाग एवं पदों की वरीयता हेतु विकल्पों को पूर्णतयाः समझने एवं विचार करने के बाद ही अपनी वरीयता अंकित करें। विकल्प एक बार सबमिट होने के बाद किसी भी दशा में संशोधित किया जाना संभव नहीं होगा।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव

Scanned with ACE Scanner